समक्ष, न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कम्प सागर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्रमांक :

प्रस्तुति दिनांक : R 4177 – I – 16

ज्योति पति श्रीमान बहादुर श्रीवास्तव
साकिन गैसाबाद, तहसील हटा, जिला दमोह

... पुनरीक्षणकर्ता

//बनाम//

महेन्द्र पिता दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव
साकिन गैसाबाद, तहसील हटा, जिला दमोह

... उत्तरदाता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–रा.सं. 1959.

पुनरीक्षण खिलाफ– न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) हटा, जिला दमोह द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 44अ/6, वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 9.8.2016 के बावत्।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरणः–

इस प्रकार है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/उत्तरदाता द्वारा एक अपील धारा 44 भू–रा.सं. के तहत, अपील के साथ एक आवेदन पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत मय शपथ पत्र एवं एक आवेदन पत्र धारा 32 भू–रा.सं. के तहत मय शपथ पत्र पेश की गई तथा अपील के साथ महेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा रवीन्द्र श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित एक मुख्तयारनामा खास भी प्रस्तुत किया गया, परंतु प्रस्तुत अपील एवं संलग्न आवेदन पत्रों वा शपथ पत्रों में नवीन पिता महेन्द्र श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं एवं शपथ पत्र भी नवीन श्रीवास्तव के नाम के प्रस्तुत किए गए हैं, जिस कारण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 3.11.2015 को एक लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी/उत्तरदाता द्वारा नवीन श्रीवास्तव को मुख्तयार खास नियुक्त नहीं किया गया है, अतः

ज्योति श्रीवास्तव

...2

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

करण क्रमांक –निगरानी–4177–एक/2016 जिला–दमोह

ज्योति श्रीवास्तव विरूद्ध महेन्द्र श्रीवास्तव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
09–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री रामकांत बड़ौनियां अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला–दमोह के प्रकरण क्रमांक 44/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 09–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 12–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 09/5/19	